

कर्मोक्त:—एफ—7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/शॉर्ट टर्म /2021/136 दिनांक :- 05/04/2021

आदेश

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत निम्न सह/सहायक आचार्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऑनलाईन इंडक्शन/ओरियंटेशन कोर्स करने हेतु अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:—

क्र.सं.	नाम (सह/सहायक आचार्य)श्री/सुश्री / डॉ०/श्रीमती	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	संस्थान जहां से कोर्स किया जाना है
1.	सतपाल	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, धरियावद	इंडक्शन /ओरियं.	16.4.21 से 15. 5.2021	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
2.	मनोज कुमार शर्मा	विधि	राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर	इंडक्शन /ओरियं	16.4.21 से 15. 5.2021	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
3.	कुलदीप शर्मा	संस्कृत	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	इंडक्शन /ओरियं	16.4.21 से 15. 5.2021	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
4.	सुनील कुमार	रसायन शास्त्र	राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरु	इंडक्शन /ओरियं	16.4.21 से 15. 5.2021	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
5.	मनीषा गुप्ता	संस्कृत	राज0 महा0, नगर	इंडक्शन /ओरियं	16.4.21 से 15. 5.2021	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
6.	धीरज कुमार गुप्ता	हिन्दी	राजकीय महा0, कामां	इंडक्शन /ओरियं	16.4.21 से 15. 5.2021	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
7.	कौशल सोनी	संगीत कंठ	राजकीय मीरा कन्या महा0, उदयपुर	इंडक्शन /ओरियं	16.4.21 से 15. 5.2021	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
8.	रिंकू गुप्ता	संस्कृत	राजकीय महा0 कामां	इंडक्शन /ओरियं	16.4.21 से 15. 5.2021	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
9.	हरवीर सिंह	लोक प्रशासन	राज0 महा0, कामां	इंडक्शन /ओरियं	16.4.21 से 15. 5.2021	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

कर्मोक्त:—एफ—7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/शॉर्ट टर्म /2021/136 दिनांक :- 05/04/2021

प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्धित प्राचार्य निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-

(अ) प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।

(ब)संबन्धित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैण्ड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

2. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)